

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 739 / 2014

संस्थित दि: 20 / 08 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

प्रकाश भौरे पिता सरजू, उम्र 19 साल, जाति तेली,  
निवासी ग्राम बोरी थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 03 / 09 / 2014 को उपार्पित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कमल बघेल ने आरक्षी केन्द्र बिरसा में दिनांक 07.02.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की ममता दिनांक 03.02.2014 से गायब है कोई अज्ञात आरोपी उसकी नबालिक लड़की को भगा ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बिरसा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17 / 14 अन्तर्गत धारा 363 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि आरोपी प्रकाश भौरे ममता बघेल को अपने साथ भगाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई के सबूत पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 एवं 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कायम कर यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(04) उर्पापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीयद दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 376 एवं 3, 4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।
- (07) उपार्षण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर जांच हेतु भेजी गई है।
- (09) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक **15.09.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया ।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर  
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट